

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी, तारीख के  
साथआदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद वर्ष 2011 से लम्बित है। इस वाद में दिनांक 14.06.2018 को वादी गण के गवाहों के गवाही हेतु रखा गया था। वादीगण को बार-बार चेतावनी देने के पश्चात् भी एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किए। फिर दिनांक-06.08.2018 को वादी को गवाह प्रस्तुत करने हेतु अंतिम मौका दिया गया था एवं पुनः दिनांक-06.09.2018 को वादीगण को एक मौका गवाह प्रस्तुत करने हेतु दिया गया पर वे गवाह प्रस्तुत करने में असफल रहे। इससे प्रतीत होता है कि वादीगण को इस वाद में कोई रुची नहीं है। दिनांक-18.01.2019 को प्रतिवादी के अधिवक्ता को सुना। उक्त तिथि को वादी के अधिवक्ता पुकार पर अनुपस्थिति रहे थे। ऐसी परिस्थिति में इस वाद को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित।

अपर उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

अपर उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

